

**न्यायालय :- वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला भिण्ड, (म.प्र.)**

(आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 482/2015)

(संस्थित दिनांक :- 20/07/15)

म.प्र.राज्य की ओर से
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा
जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

रामनरेश पुत्र बाबूराम शर्मा, उम्र 48 वर्ष,
निवासी जामना रोड़, हनुमान नगर, मैन रोड़,
थाना देहात, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य की ओर से श्री प्रवीण सिकरवार ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 30/06/18 को घोषित)

1. अभियुक्त रामनरेश पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (चार बार), 338, 304ए के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 28.04.15 को साढ़े ग्यारह बजे भिण्ड ग्वालियर हाइवे पर स्थित ग्राम सर्वा के पास लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। अभियुक्त ने दो मोटरसाइकिलों में टक्कर मारकर मोहरसिंह, जसवन्त, रामबाई एवं शिवानी को उपहति, राजकुमार को घोर उपहति तथा अजीत सिंह की मृत्यु कारित की।
2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को सूचनाकर्ता राजकुमार मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.06एम.एच.2161 से इटावा जा रहा था, जिसे उसका भाई अजीत चला रहा था। सूचनाकर्ता की मोटरसाइकिल

ग्राम सर्वा के पास पहुंचने पर लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी और उसी वाहन ने सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल में भी टक्कर मारी थी। घटना में मोहरसिंह, जसवन्त, रामबाई, शिवानी एवं राजकुमार को चोटें आई थीं और अजीत की मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना थाना गोहद चौराहा को दिए जाने पर देहाती नालिसी लेख की गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 77/15 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया और मृतक अजीत का शव परीक्षण कराया गया।

3. तत्पश्चात प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया। घटना में उपयोग किये गये वाहन को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया एवं वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई। वाहन के स्वामी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। साक्षी मोहर सिंह, राजकुमार, जसवन्त, शिवानी, रामबाई, अजय सिंह, रवि उर्फ दीपक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त ने इस निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार करते हुये अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय बिंदु हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए. 7394 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने दो मोटरसाइकिलों में टक्कर मारकर मोहरसिंह, जसवन्त, रामबाई एवं शिवानी को उपहति, राजकुमार को घोर उपहति एवं अजीत सिंह की मृत्यु कारित की ?

सकारण निष्कर्ष

6. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर अंतर्निहित होने से साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए सभी विचारणीय बिन्दुओं पर एक साथ विचार

किया जा रहा है।

7. साक्षी राजकुमार (अ.सा.3) का कहना है कि घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.06एम.एच.2161 से ग्राम घुरगान से इटावा की ओर जा रहा था और उसके साथ उसका भाई अजीत सिंह जादौन भी था। ग्राम सर्वा के पास गोहद की ओर से आ रहे लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 के चालक ने वाहन को तेजगति और लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसे और उसके भाई को चोटें आई थीं। साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त वाहन ने एक अन्य मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी, जिससे मोटरसाइकिल पर बैठे लोगों को चोटें आई थी और इसके उपरांत टक्कर मारने वाले वाहन का चालक वाहन को मालनपुर की ओर लेकर भाग गया था। साक्षी के अनुसार उन लोगों को पुलिस एम्बुलेंस से गोहद अस्पताल लाई थी, जहां पर उसने प्र.पी.7 की देहाती नालिसी लेख कराई थी।

8. साक्षी किशनलाल (अ.सा.7) का कहना है कि उसने दिनांक 28.04.15 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए राजकुमार की रिपोर्ट पर से एम.पी.20जी.ए.7394 के चालक के विरुद्ध वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने के संबंध में देहाती नालिसी प्र.पी.7 लेख की थी।

9. साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता (अ.सा.1) का कहना है कि उसने दिनांक 28.04.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत मोहर सिंह का मेडीकल परीक्षण करने पर उसकी बांयी जांघ पर सूजन और बाएं हाथ में खरोंच पाई थी। साक्षी ने आहत को बांयी जांघ में आई सूजन के लिए एक्सरे की सलाह दी थी और आहत को उपचार हेतु ग्वालियर रैफर किया था। साक्षी के द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.1 है।

10. साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता ने आहत शिवानी का मेडीकल परीक्षण करने पर उसके सिर में सूजन पाई थी। साक्षी ने आहत को उपचार हेतु ग्वालियर रैफर किया था। साक्षी के द्वारा आहत के संबंध में तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.2 है। साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को श्रीमती रामबाई का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी अपितु आहत ने दाएं कंधे एवं गर्दन में दर्द की शिकायत की थी, जिससे संबंधित मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.3 है।

11. साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता ने आहत जसवन्त का मेडीकल परीक्षण करने पर सिर में दांयी तरफ खरोंच, बाएं घुटने, पैर में कटा-फटा हुआ घाव पाया था। बाएं हाथ की रेडियस एवं अलना हड्डी में अस्थिभंग की संभावना को देखते हुए एक्सरे की सलाह दी गई थी। साक्षी ने आहत को उपचार के लिए ग्वालियर रैफर किया था। साक्षी के द्वारा आहत के संबंध में तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.4 है।

12. साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता का यह भी कहना है कि उसने आहत राजकुमार का मेडीकल परीक्षण करने पर उसकी बांयी जांघ में सूजन पाई थी, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। साक्षी के द्वारा आहत के संबंध में तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.5 है। साक्षी के अनुसार दिनांक 19.05.15 को आहत राजकुमार का एक्सरे टेक्निशियन के द्वारा कराए जाने पर उसकी बांयी जांघ में अस्थिभंग, रॉड स्कू एवं प्लेट पायी थीं। साक्षी के द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.6 है। बचाव पक्ष के द्वारा मृतक अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्वीकार की गई है, जिस कारण से उसे प्रथक से प्रमाणित कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. इस प्रकार साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता के कथन और प्र.पी.1 लगायत 6 की रिपोर्ट से आहतगण को उपहति एवं घोर उपहति कारित होना तथा अजीत सिंह की मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। अब न्यायालय को इस संबंध में विचार करना है कि क्या उक्त घटना अभियुक्त के उतावलेपन या उपेक्षा में किए गए कृत्य के परिणामस्वरूप कारित हुई थी ?

14. साक्षी मोहर सिंह (अ.सा.2) का कहना है कि घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30एम.जी.2411 से अपनी पत्नी रामबाई, साले जसवन्त तथा बच्ची के साथ ग्राम लहचूरा जा रहा था जब ग्राम सर्वा के पास उसने बाथरूम जाने के लिए गाड़ी खड़ी की तब पीछे से आ रहे लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसे और अन्य लोगों को चोटें आई थीं। साक्षी का यह भी कहना है कि टक्कर मारने के उपरांत अभियुक्त अपनी गाड़ी को मालनपुर की ओर लेकर भाग गया था।

15. साक्षी मोहरसिंह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे वाहन

क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 का नम्बर गांव के एक व्यक्ति ने बताया था, किन्तु वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उस व्यक्ति के बताए अनुसार ही न्यायालय में वाहन का नम्बर बताया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानता है। इस प्रकार साक्षी का वाहन के नम्बर के संबंध में किया गया कथन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया होने के कारण अनुश्रुत प्रकृति का है, जो कि विश्वास किए जाने योग्य नहीं है।

16. साक्षी रामबाई (अ.सा.4) का कहना है कि घटना दिनांक को वह, उसके पति, बेटी एवं भाई मोटरसाइकिल से ग्राम लहचूरा जा रहे थे। ग्राम सर्वा के पास पीछे से आ रहे लोडिंग वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

17. साक्षी जसवन्त सिंह (अ.सा.5) का कहना है कि घटना दिनांक को वह उसकी दीदी, जीजाजी और भांजी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30एम.जी.2411 से ग्राम लहचूरा जा रहे थे। साक्षी के अनुसार जैसे ही उन लोगों ने ग्राम सर्वा के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी की तो पीछे से आ रहे लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी का यह भी कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मोटरसाइकिल कैसे चल रही थी और उसने यह नहीं देखा था कि वाहन का चालक वाहन को लापरवाही से चला रहा था।

18. साक्षी जसवन्त का आगे यह भी कहना है कि मोटरसाइकिल में टक्कर लगने पर उन सभी लोगों को चोटें आई थी और उनके वाहन के अतिरिक्त लोडिंग वाहन ने एक अन्य मोटरसाइकिल में भी टक्कर मारी थी, टक्कर मारने के उपरांत वाहन का चालक वाहन को मालनपुर की ओर लेकर भाग गया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लोडिंग वाहन ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.06एम.एच.2161 में टक्कर मारी थी, जिससे राजकुमार व अजीत को चोटें आई थीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने वाहन चालक

को नहीं देखा था और वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को भी नहीं पहचानता है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया है कि वह किसी अन्य के बताए अनुसार वाहन का नम्बर बता रहा है।

19. साक्षी राजकुमार (अ.सा.3) जो कि घटना का सूचनाकर्ता एवं स्वयं आहत भी है, ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने घटना दिनांक को अपने घर से घटनास्थल आने तक किसी भी वाहन का कोई नम्बर नहीं देखा था, परंतु साक्षी के अनुसार उसने घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर देखा था, जो पीछे की ओर लिखा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे वाहन चालक के संबंध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसने वाहन चालक को नहीं देखा था।

20. साक्षी रामकरन शर्मा (अ.सा.6) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.15 को थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 77/15 में जब्तशुदा वाहन एम.पी. 20जी.ए.7394 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर वाहन चालू हालत में पाया था, परंतु चालक की ओर की इंडिकेटर लाइट क्षतिग्रस्त थी तथा बम्पर, मडगार्ड की चादर पिचकी हुई थी और उस पर खरोंचे थीं। साक्षी ने इसके अतिरिक्त वाहन के सभी सिस्टम ठीक पाए थे। साक्षी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.9 है।

21. साक्षी पवन शिवहरे (अ.सा.8) का कहना है कि वह वाहन क्रमांक एम. पी.20जी.ए.7394 का पंजीकृत स्वामी है, दिनांक 29.04.15 को वह स्वयं गाड़ी चलाकर ग्वालियर से भिण्ड आ रहा था। रास्ते में गोहद चौराहे की पुलिस ने गाड़ी रोकी और उससे कागज मांगे थे। गाड़ी के कागज वह घर पर भूल जाने के कारण वाहन वहीं छोड़कर कागज लेने घर गया था और जब वह भिण्ड से कागज लेकर वापिस आया तब पुलिस वालों ने उससे कहा था कि वह अपना वाहन न्यायालय से छुड़वा ले। साक्षी के अनुसार उसने न्यायालय में गाड़ी छुड़वाने की अर्जी लगवाई थी और एक दिन बाद उसे गाड़ी छुड़वाने का कागज मिला था, जिसे लेकर वह थाने गया था जहां पर पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 जब्ती पत्रक प्र.पी.12, एवं प्रमाणीकरण प्र.पी.14 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

22. साक्षी पवन ने अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह बताया है कि वह अभियुक्त रामनरेश शर्मा को नहीं जानता है और वह लोडिंग वाहन

पर कोई ड्राइवर नहीं रखता है अपितु वाहन स्वयं चलाता है। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त उसका ड्राइवर है, जिस कारण से वह उसे पूर्व से जानता है।

23. साक्षी किशनलाल (अ.सा.7) का यह कहना है कि उसने विवेचना के दौरान दीपक की निशादेही पर नक्शामौका प्र.पी.10 बनाया था तथा घटनास्थल से ६ मीटर दूर कारित करने वाले वाहन को जब्त कर जब्तीपत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था। साक्षी ने रवि उर्फ दीपक, राजकुमार, अजयसिंह, मोहरसिंह, जसवन्त, शिवानी एवं रामबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे। साक्षी ने अभियुक्त रामनरेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 एवं वाहन के कागज जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.12 बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि देहाती नालिसी में सूचनाकर्ता ने अभियुक्त का हुलिया एवं कद्-काठी नहीं बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजकुमार, अजय सिंह, मोहर सिंह ने भी घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम एवं पता नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने वाहन चैकिंग के दौरान गलत तरीके से गाड़ी जब्त की थी।

24. प्रकरण में अभियोजन साक्षी जसवंत ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर का स्पष्ट उल्लेख अपने कथनों में किया है, परन्तु वाहन चलाने की रीति के संबंध में जानकारी न होना बताया है। साक्षी राजकुमार ने न्यायालयीन कथनों में वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाया जाना बताया है।

25. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या तेजगति को उपेक्षा या उतावलेपन का आधार माना जाये ? उपेक्षा शब्द का तात्पर्य ऐसे कृत्य से है, जिसमें कौशल, देखभाल, सम्यक तत्परता का सर्वथा अभाव हो। कोई कृत्य उपेक्षापूर्ण तब माना जाता है जब उक्त कृत्य व्यक्ति के द्वारा परिणाम के संबंध में विचार किए बिना किया गया हो। तेजगति एवं उपेक्षा का संबंध घटनास्थल, समय, यातायात की प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो कि घटना के समय घटनास्थल पर विद्यमान थी। यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति धीमी गति पर वाहन चलाते हुए उपेक्षा एवं उतावलेपन का दोषी नहीं हो सकता। वही इसके

विपरीत खाली सड़क पर या हाईवे पर जहां कि दूर तक कोई आबादी क्षेत्र नहीं है वहां तेजगति से वाहन चलाया जाना उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन में किए गए कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है।

26. धारा 337, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. में उतावलेपन में किये गये कृत्य को भी दण्डनीय बनाया गया है। उतावलेपन में किया गया कृत्य ऐसा खतरनाक कृत्य है जिसमें एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने का कोई आशय नहीं होता है, परंतु व्यक्ति को यह ज्ञान अवश्य होता है कि उसके कृत्य से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित हो सकती है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजकुमार ने केवल वाहन तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाने का कथन किया है, किन्तु वाहन की गति कितनी थी एवं वाहन चालक के द्वारा किस प्रकार की उपेक्षा की गई, इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये हैं।

27. इस प्रकार यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि दुर्घटना जब्तशुदा वाहन से ही कारित हुई थी तो भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त वाहन का परिचालन घटना दिनांक को अभियुक्त रामनरेश के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षा से किया जा रहा था।

28. जहाँ तक प्रश्न विवेचक किशनलाल की साक्ष्य का है, तो उक्त के संबंध में यह अवलोकनीय है कि साक्षी किशनलाल स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसके द्वारा समस्त कार्यवाही पीड़ित राजकुमार एवं अन्य साक्षीगण के कथनों के आधार पर की गई है, परन्तु उक्त साक्षीगण ने ही घटना के संबंध में न्यायालय में विश्वसनीय कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार उक्त परिस्थिति में केवल विवेचक की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

29. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जहाँ कि अभियोजन साक्षीगण ने न्यायालय में विश्वसनीय एवं स्थिर कथन नहीं किये हैं और अभियुक्त की पहचान भी स्थापित नहीं है वहाँ अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त रामनरेश ने घटना दिनांक को लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.20जी.ए.7394 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया और अभियुक्त ने दो मोटरसाइकिलों में टक्कर मारकर मोहरसिंह,

जसवन्त, रामबाई एवं शिवानी को उपहति, राजकुमार को घोर उपहति तथा अजीत सिंह की मृत्यु कारित की।

30. फलतः अभियुक्त रामनरेश को धारा 279, 337(चार बार), 338, 304ए भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

31. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

32. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में काटी गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र पृथक से तैयार कर संलग्न किया जाये।

33. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मूलस्वामी को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया गया है। अतः अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दगीनामा वाहन मालिक के पक्ष में भारमुक्त समझा जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद